झारखण्ड सरकार

कुबेर
कर्मचारी सेवा पोर्टल, झारखण्ड सरकार

How to Process OPS (Old Pension Scheme) NOC Request of Retired Employees (of NPS Retired & NPS to OPS Converted) in Death Case through Employee Portal

(DDO User Manual)

How to Process OPS (Old Pension Scheme) NOC Request of Retired Employees (NPS Retired & NPS to OPS Converted) in Death Case through Employee Portal

(DDO User Manual)

Version 1.0

Released on 28/08/2025

©PMU, Department Of Finance, Govt. Of Jharkhand

Table of Contents

1. INTRODUCTION 4

2. GENERATE NOMINEE DECLARATION REQUEST FORM 5

3. APPLY FOR NOC REQUEST 10

4. MAKE PAYMENT OF NPS CONTRIBUTION AND INTEREST 16

5. STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR RETIRED EMPLOYEES (FINANCE DEPT. LETTER NO. 141, DATED 01/08/2023) 26

1. INTRODUCTION

In the light of the Finance Department Resolution No. 141 dated 01.08.2023, the personnel who have already retired under NPS (willing to adopt the Old Pension Scheme) and those who have converted from NPS to OPS have to apply online through Employee Portal for applying NOC from Directorate of Pension & Accounts for receiving Pension. The request will be then forwarded to concerned DDO office.

In Death case of the retired employee the DDO will verify the details, generate Nominee Declaration form and apply for NOC in behalf of the dead employee. Then the DDO will forward the request to Directorate of Pension & Accounts for final processing. Once Directorate of Pension & Accounts approves the request of the retired dead personnel the DDO/Nominee can initiate the return process of Government contribution amount with Interest received from NSDL under NPS and generate the e-Challan through the interface provided in the Employee portal. After the return of Government contribution amount with Interest the concerned Nominee of the retired employee (Dead) becomes eligible for applying for Family pension under Old Pension Scheme.

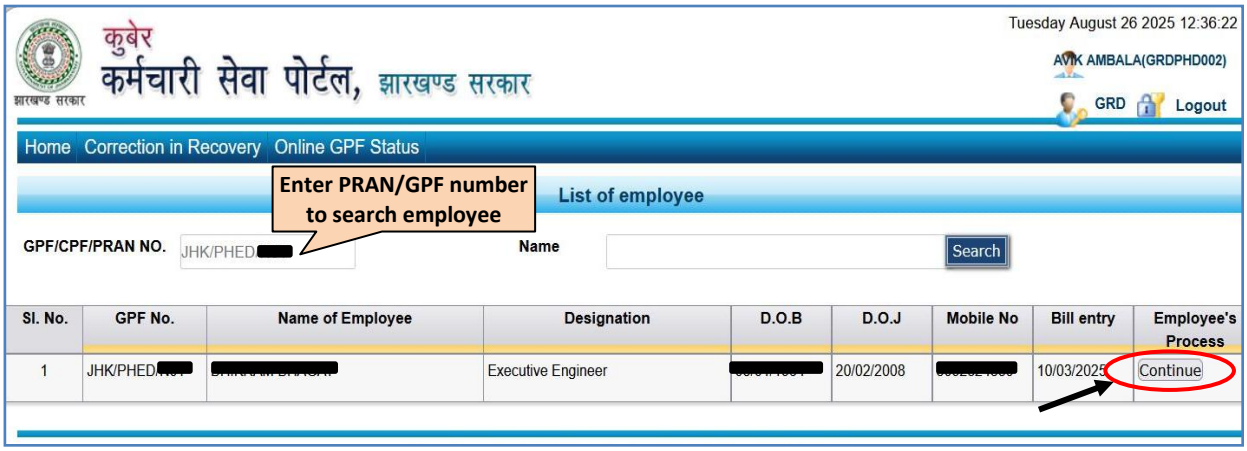
2. GENERATE NOMINEE DECLARATION REQUEST FORM

1. Login as DDO in KUBER Employee Portal (https://jkuber.jharkhand.gov.in/emp/).

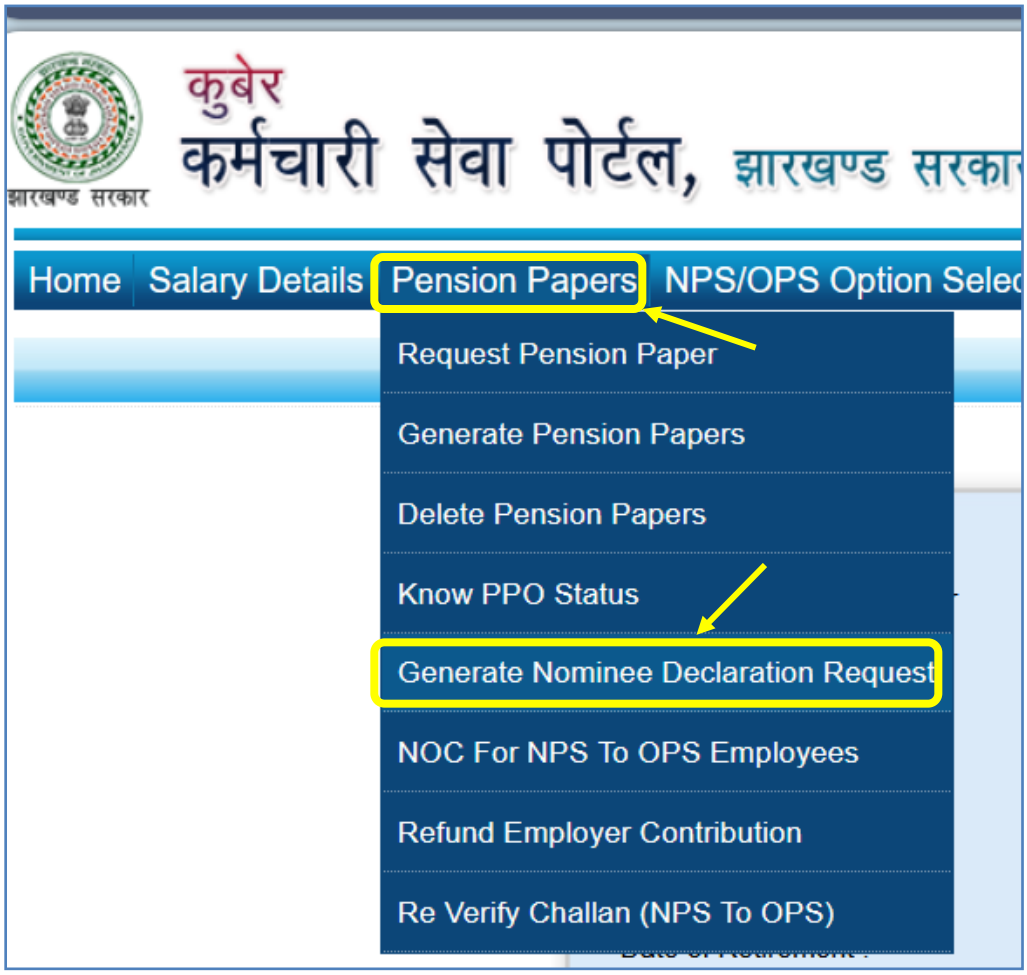




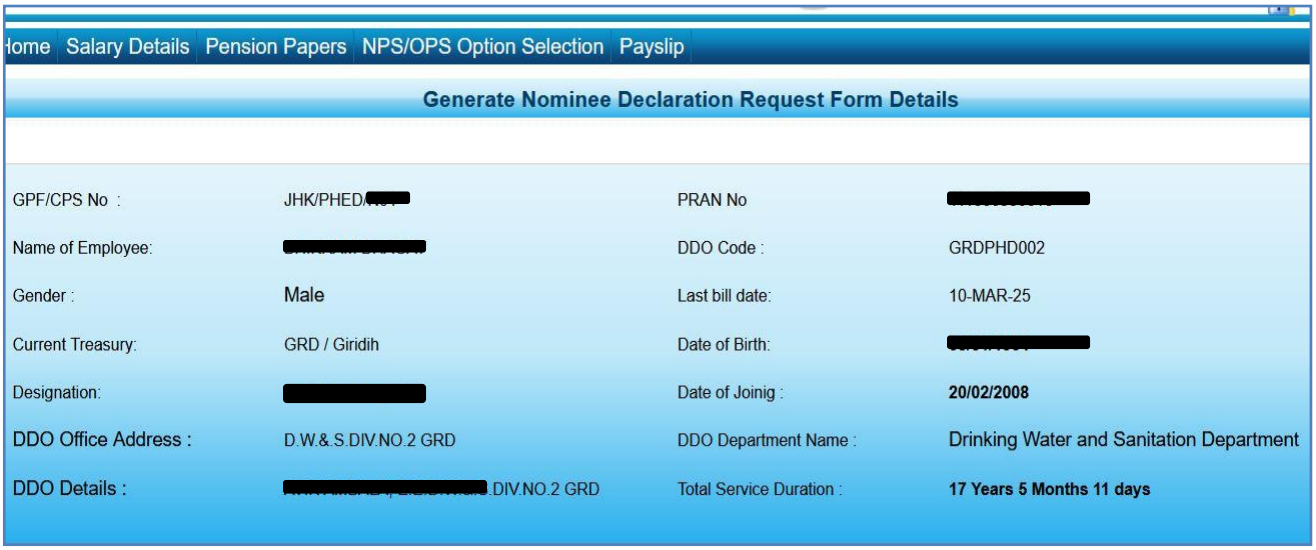
2. Search Employee by entering PRAN/GPF number and click **Continue** button.



3. Click on **Pension Papers > Generate Nominee Declaration Request**.

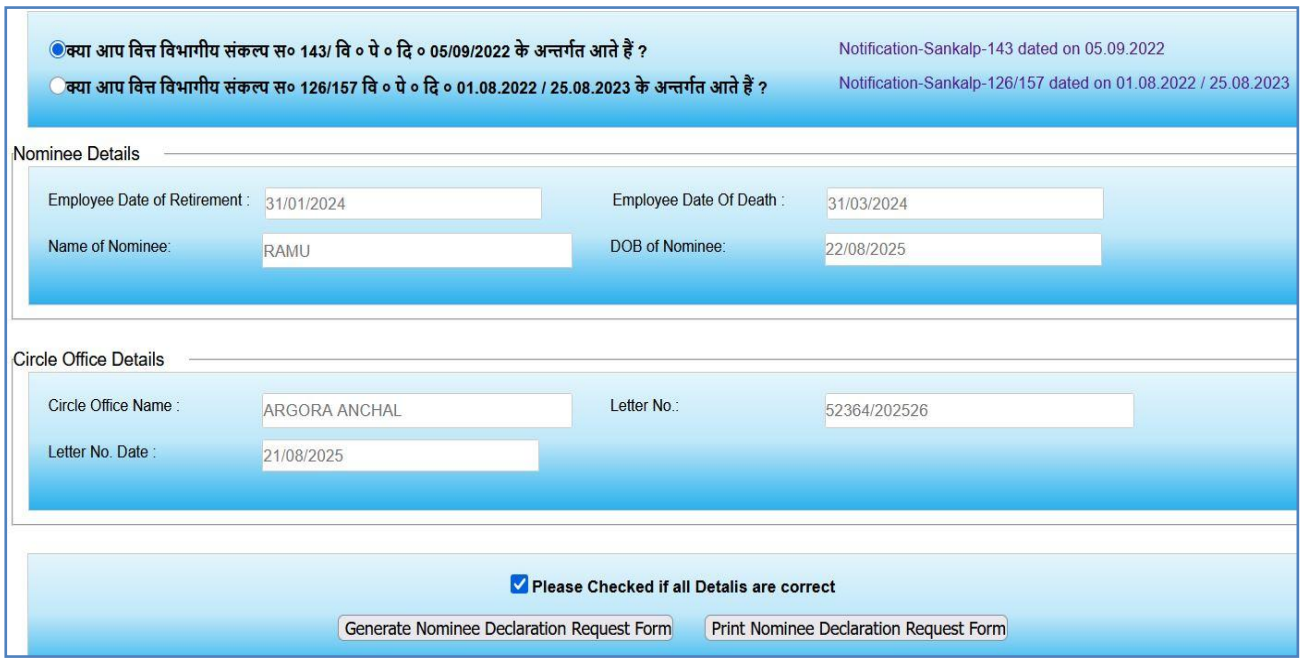


4. The details of retired employee will be displayed on screen.

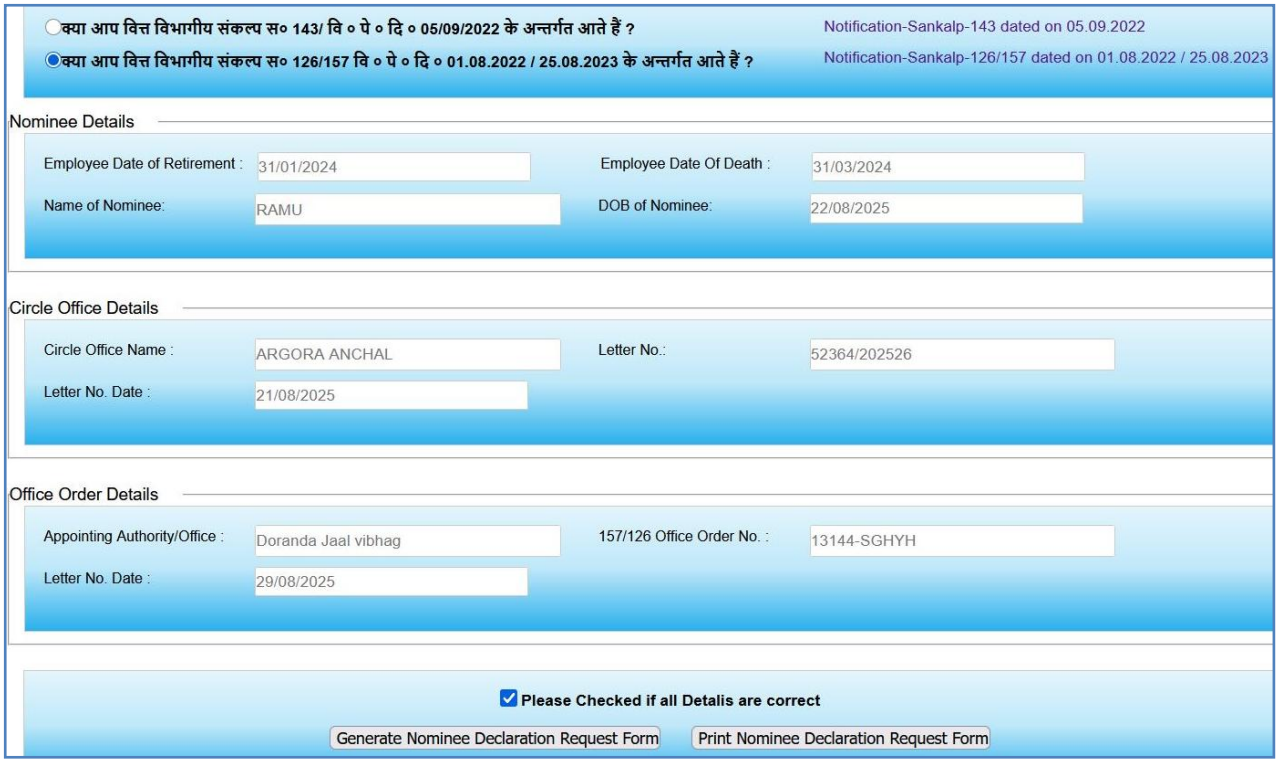


5. Select applicable Notification (संकल्प) and fill in the following:

- **Nominee** and **Circle Office details** (In case of संकल्प सं॰**143**).



- **Nominee**, **Circle Office** and **Office Order details** (In case of संकल्प सं॰**126/157**).



6. Verify the details and click the **Details correct Checkbox**. The click on **Generate Nominee Declaration Request Form** button to generate the form.



7. Put Letter number, date in the System generated Nominee Declaration Form and Sign the form alongwith official stamp.

Final Copy

(प्रपत्र-II)

सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत कर्मियों के आश्रित को पारिवारिक पेंशन अनुमान्यता प्रमाण पत्र

(संकल्प संख्या 126/वि.पें. दिनांक 01.08.2022, 157/वि.पें. दिनांक 25.08.2023 एवं 166/वि.पें. दिनांक 09.07.2024 से आच्छादित मामलों हेतु)

पत्रांक: Put Letter Number दिनांक: Put Letter Date

मैं श्री/श्रीमती [redacted] निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,**D.W.&.S.DIV.NO.2 GRD** प्रमाणित करता/करती हूँ कि आश्रित/ आश्रिता [redacted] जिनकी जन्म तिथि **22/08/2025** है और वे स्व. [redacted], पद - **Executive Engineer**, कार्यालय - **Drinking Water and Sanitation Department** जिनका GPF संख्या [redacted] अथवा CPS / PRAN संख्या [redacted] है, के आश्रित/ आश्रिता हैं।

2. स्व. [redacted] की मृत्यु तिथि **31/03/2024** है । आश्रित/ आश्रिता झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 एवं परिचालित नियम/ परिनियम के तहत पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति हेतु विनिर्दिष्ट "परिवार" की परिभाषा के अंतर्गत आश्रित की श्रेणी में आते हैं।

3. अंचल अधिकारी **ARGORA ANCHAL** के पत्रांक **52364/202526** दिनांक **21/08/2025** द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची में आश्रित/ आश्रिता का नाम पति / पत्नी / माता / पिता / पुत्र / पुत्री के रूप में दर्ज है। (पारिवारिक सूची संलग्न)

4. स्व. [redacted] को वित्त विभागीय संकल्प सं.126/वि.पें. दिनांक 01.08.2022, 157/वि.पें. दिनांक 25.08.2023 एवं 166/वि.पें. दिनांक 09.07.2024 के आलोक में नियुक्ति प्राधिकार के कार्यालय आदेश सं. दिनांक द्वारा पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न)

5. स्व. [redacted] द्वारा स्वयं अथवा उनके आश्रित द्वारा NPS Exit Form के माध्यम से CPS / PRAN में संचित राशि का अंतिम निकासी नहीं की गयी है।

6. स्व. [redacted] का जन्म तिथि **05/01/1964** सेवा में योगदान की तिथि **20/02/2008** तथा सेवानिवृत्ति की तिथि **31/01/2024** है। इस प्रकार स्व. [redacted] की कुल सेवा अवधि **17** वर्ष **5** माह **10** दिन है, जो झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के आलोक में पेंशन प्रदायी है एवं उनके आश्रित/ आश्रिता को पारिवारिक पेंशन देय है।

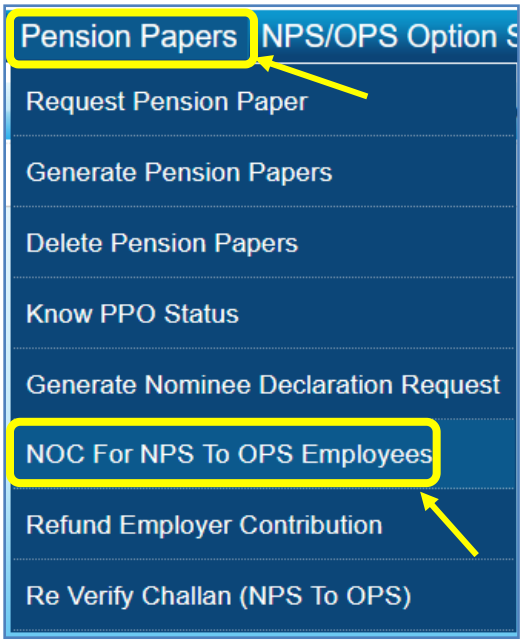
Put DDO Sign and Official Stamp

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी
का हस्ताक्षर एवं मुहर

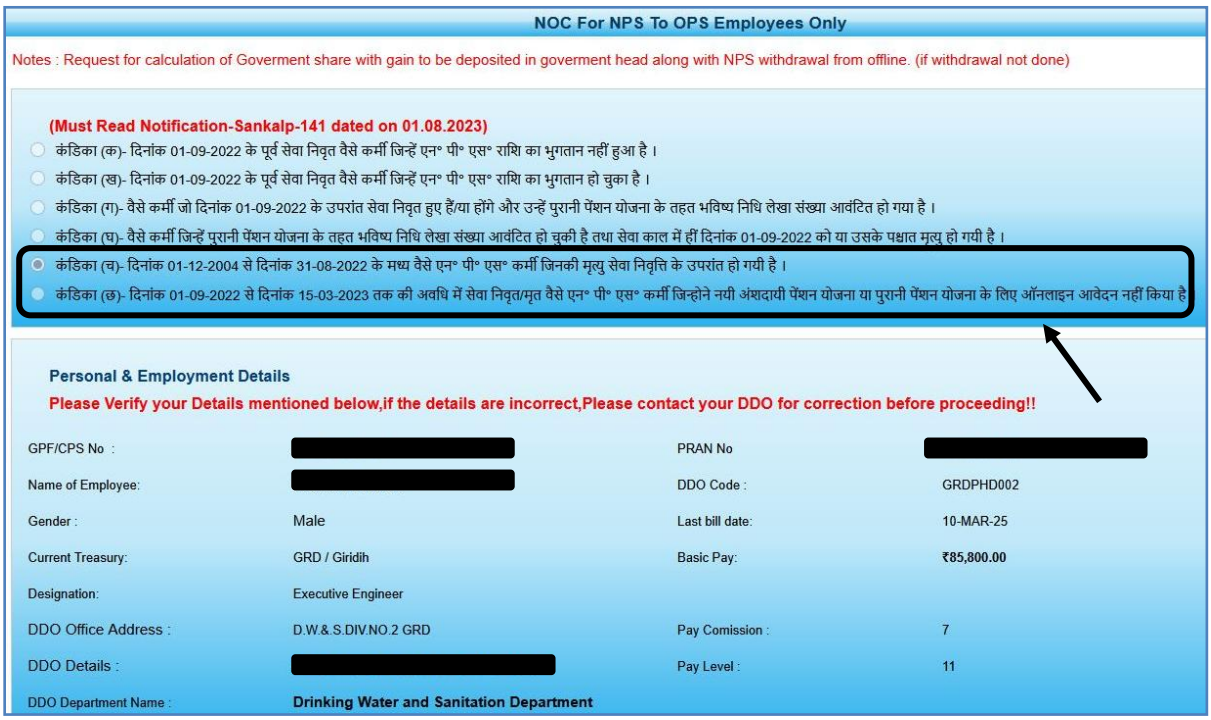
Nominee Declaration Form

3. APPLY FOR NOC REQUEST

1. After successful generation of Nominee Declaration Request Form click on **Pension Papers > NOC for NPS to OPS Employees**.



2. Select the applicable कंडिका (च/छ).



3. Enter **Nominee Declaration Letter Number** and **Date**.

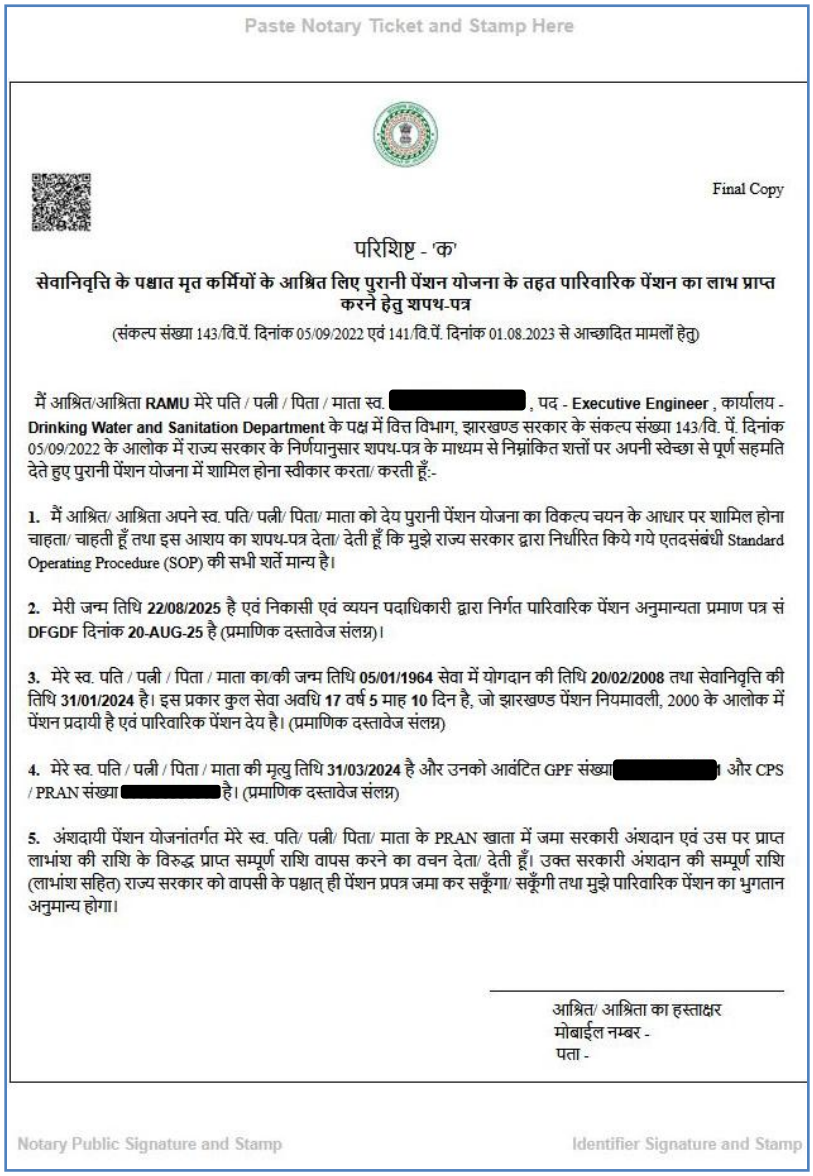


4. Verify and confirm the Employee Details and NPS Withdrawal amount. After verification **Freeze** and **Save** the details.



5. Download, Sign and Upload **OPS Declaration Form** (परिशिष्ट 'क') and **Nominee Declaration** Form together in one PDF file (Max. size 1 MB) **in case of** संकल्प सं॰**143.**





Paste Notary Ticket and Stamp Here

Final Copy

परिशिष्ट - 'क'

सेवानिवृत्ति के पश्चात मृत कर्मियों के आश्रित लिए पुरानी पेंशन योजना के तहत पारिवारिक पेंशन का लाभ प्राप्त करने हेतु शपथ-पत्र

(संकल्प संख्या 143/वि.पें. दिनांक 05/09/2022 एवं 141/वि.पें. दिनांक 01.08.2023 से आच्छादित मामलों हेतु)

मैं आश्रित/आश्रिता **RAMU** मेरे पति / पत्नी / पिता / माता स्व. [redacted], पद - **Executive Engineer** , कार्यालय - **Drinking Water and Sanitation Department** के पक्ष में वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या 143/वि. पें. दिनांक 05/09/2022 के आलोक में राज्य सरकार के निर्णयानुसार शपथ-पत्र के माध्यम से निम्नांकित शर्त्तों पर अपनी स्वेच्छा से पूर्ण सहमति देते हुए पुरानी पेंशन योजना में शामिल होना स्वीकार करता/ करती हूँ:-

1. मैं आश्रित/ आश्रिता अपने स्व. पति/ पत्नी/ पिता/ माता को देय पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन के आधार पर शामिल होना चाहता/ चाहती हूँ तथा इस आशय का शपथ-पत्र देता/ देती हूँ कि मुझे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये गये एतदसंबंधी Standard Operating Procedure (SOP) की सभी शर्ते मान्य है।

2. मेरी जन्म तिथि **22/08/2025** है एवं निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निर्गत पारिवारिक पेंशन अनुमान्यता प्रमाण पत्र सं **DFGDF** दिनांक **20-AUG-25** है (प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न)।

3. मेरे स्व. पति / पत्नी / पिता / माता का/की जन्म तिथि **05/01/1964** सेवा में योगदान की तिथि **20/02/2008** तथा सेवानिवृत्ति की तिथि **31/01/2024** है। इस प्रकार कुल सेवा अवधि **17** वर्ष **5** माह **10** दिन है, जो झारखण्ड पेंशन नियमावली, 2000 के आलोक में पेंशन प्रदायी है एवं पारिवारिक पेंशन देय है। (प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न)

4. मेरे स्व. पति / पत्नी / पिता / माता की मृत्यु तिथि **31/03/2024** है और उनको आवंटित GPF संख्या [redacted] और CPS / PRAN संख्या [redacted] है। (प्रमाणिक दस्तावेज संलग्न)

5. अंशदायी पेंशन योजनांतर्गत मेरे स्व. पति/ पत्नी/ पिता/ माता के PRAN खाता में जमा सरकारी अंशदान एवं उस पर प्राप्त लाभांश की राशि के विरुद्ध प्राप्त सम्पूर्ण राशि वापस करने का वचन देता/ देती हूँ। उक्त सरकारी अंशदान की सम्पूर्ण राशि (लाभांश सहित) राज्य सरकार को वापसी के पश्चात् ही पेंशन प्रपत्र जमा कर सकूँगा/ सकूँगी तथा मुझे पारिवारिक पेंशन का भुगतान अनुमान्य होगा।

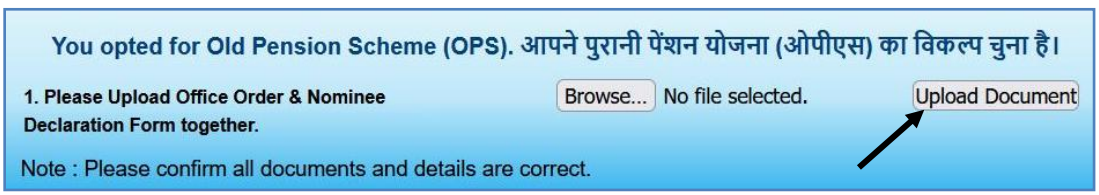
आश्रित/ आश्रिता का हस्ताक्षर
मोबाईल नम्बर -
पता -

Notary Public Signature and Stamp

Identifier Signature and Stamp

परिशिष्ट 'क'

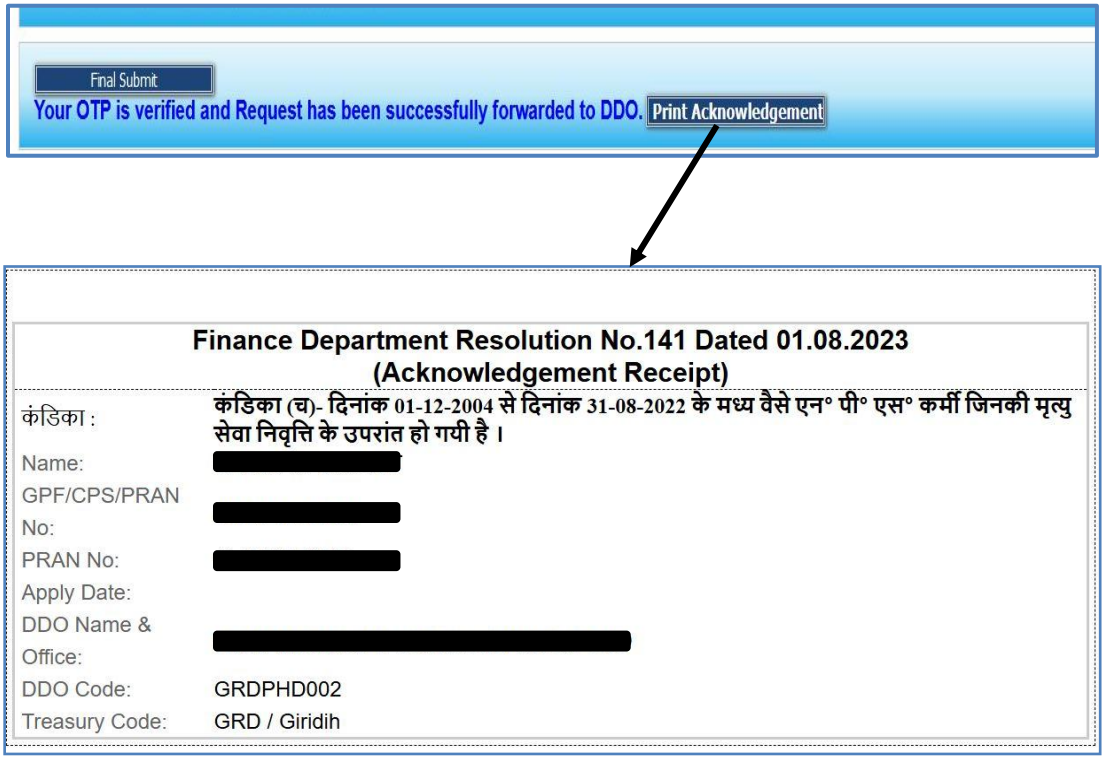
6. Download, Sign and Upload **Office Order** and **Nominee Declaration Form** together in one PDF file (Max. size 1 MB) **in case of** संकल्प सं॰**126/157.**



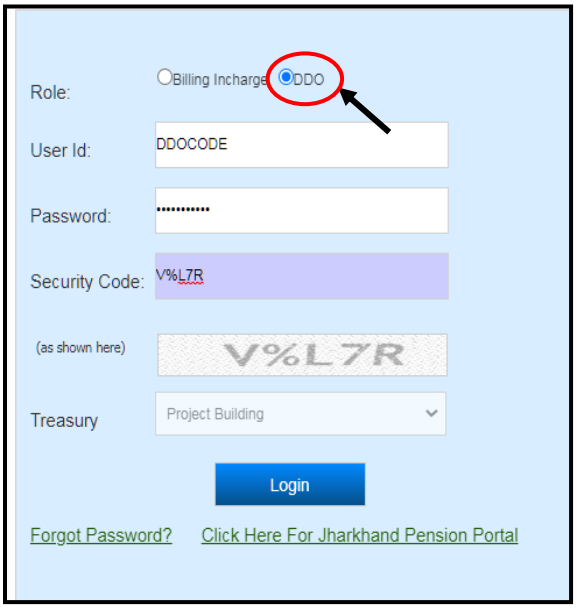
7. Click on **Final Submit**. An OTP will be send on DDO's registered Mobile number. Enter OTP and click on **Verify OTP and Forward to DDO** button.



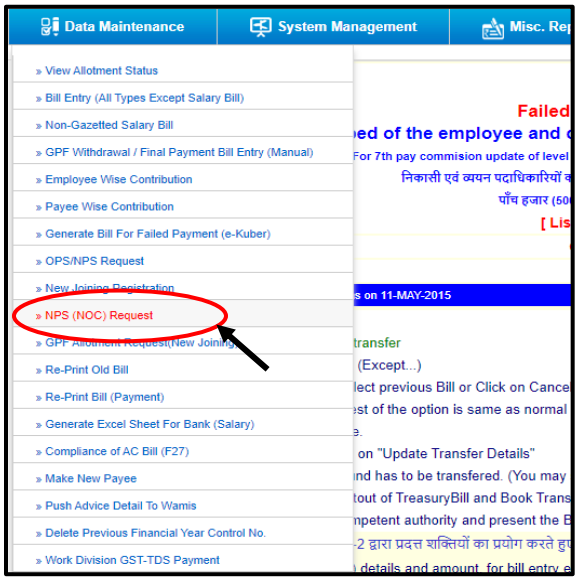
8. After the NOC request has been forwarded successfully click **Print Acknowledgement** button to take a print out of the *NOC Request Acknowledgement Slip*.



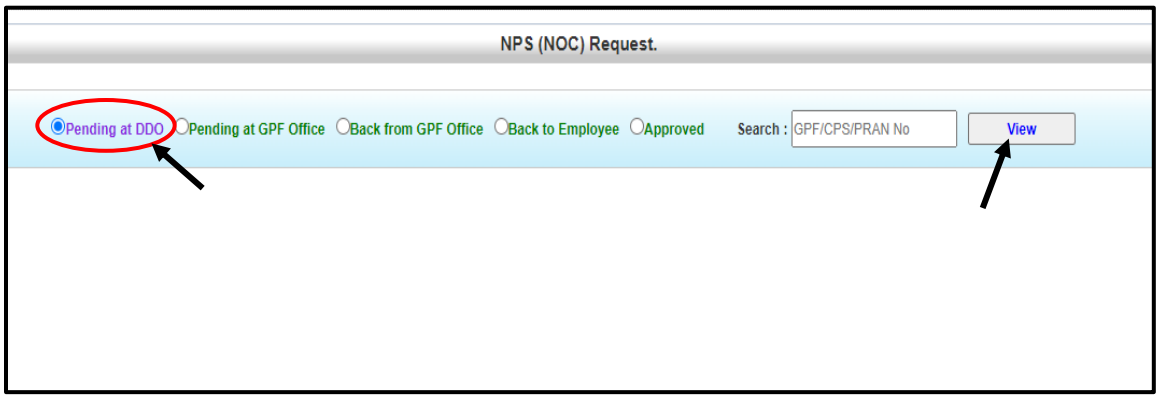
9. Login as DDO in DDO Level Bill Management System. (https://ddo.jharkhand.gov.in/, https://jhrddo.jharkhand.gov.in/)



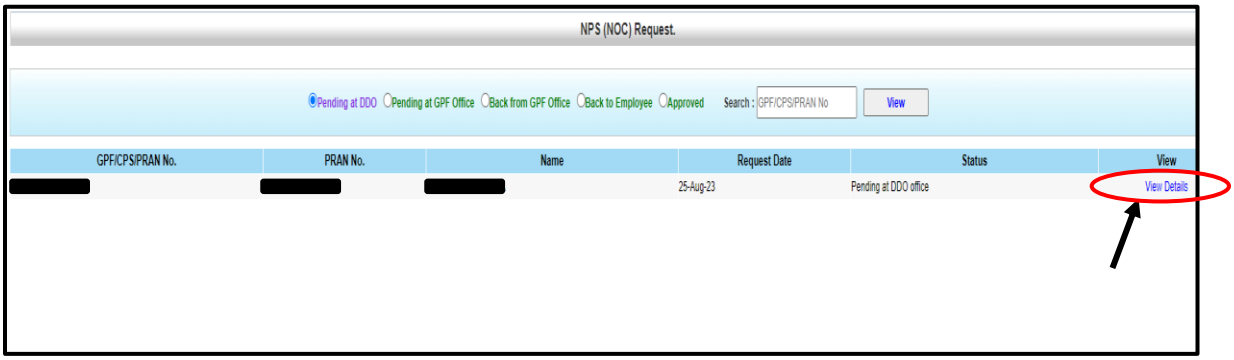
10. Click on **Data Maintenance > NPS (NOC) Request**.



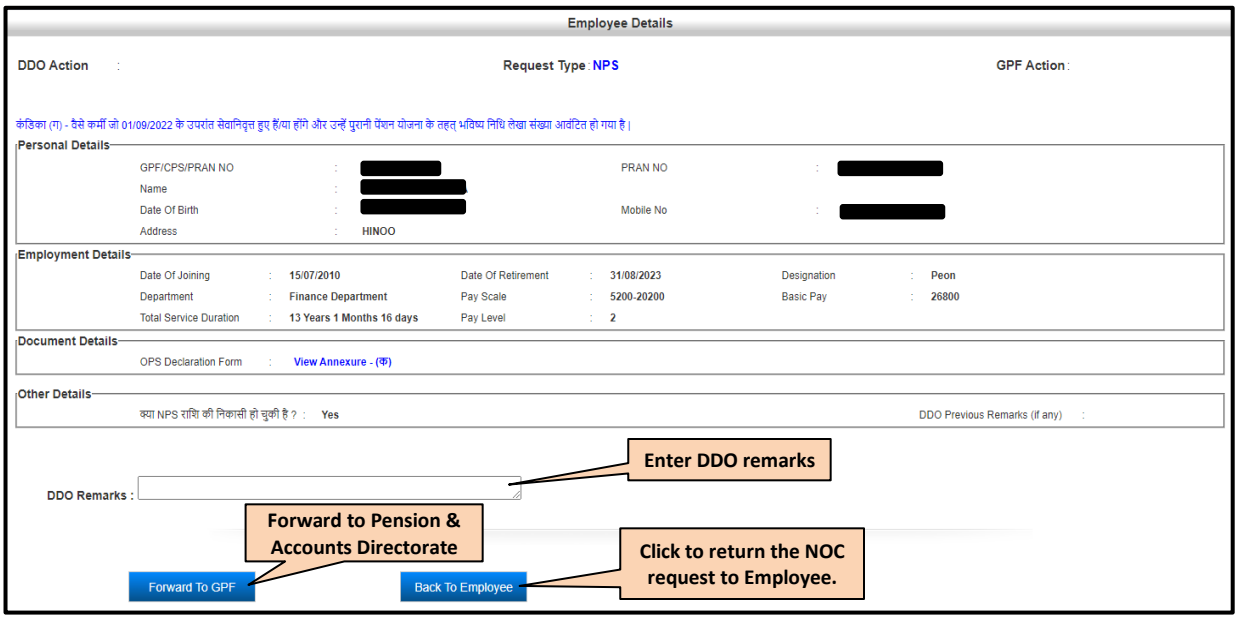
11. Select **Pending at DDO** and click on **View** button.



12. Click on **View Details**.

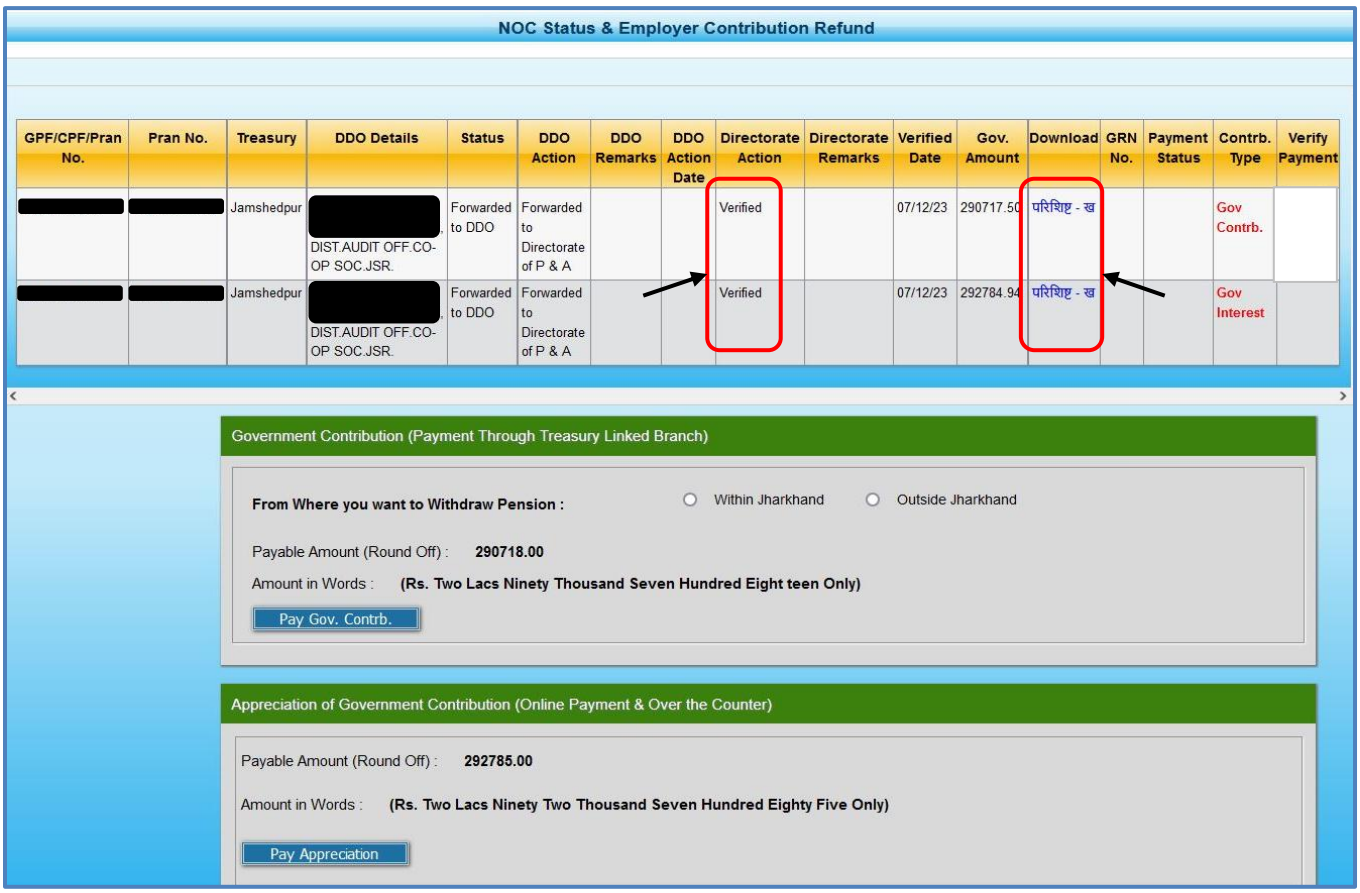


13. Verify the details and enter **DDO Remarks** (if any) then click on **Forward to Pension & Accounts Directorate** to forward the request to GPF & Pension Directorate. Click on **Back to Employee** button to return the request to employee in case of any discrepancy.



4. MAKE PAYMENT OF NPS CONTRIBUTION AND INTEREST

1. Once **verified by the Directorate of Pension & Accounts** the NPS Government Contribution amount of the employee with interest will be displayed alongwith **Payment** option. Click on परिशिष्ट – ख to view the details of Government Contribution amount with Interest which has been paid to the employee by the NPS trust.

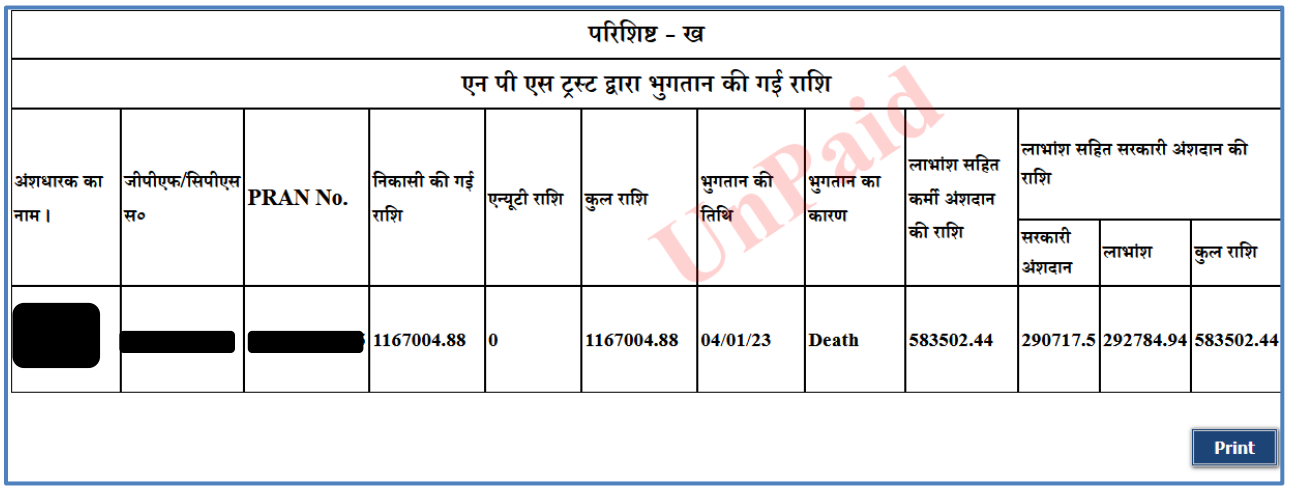


[Data used in above picture is for sample only]

1) To know the current status of your payment, kindly click the 'Verify' button after the bank has processed your payment.

2) Please do not make another payment until your current payment status is shown as 'Failed'.

3) If amount has been deducted from your account and your payment status is 'Failed' (In case of online payment) your deducted amount will be refunded by Bank within 72 Hours.



परिशिष्ट - ख

एन पी एस ट्रस्ट द्वारा भुगतान की गई राशि

अंशधारक का नाम ।	जीपीएफ/सिपीएस स०	PRAN No.	निकासी की गई राशि	एन्यूटी राशि	कुल राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान का कारण	लाभांश सहित कर्मी अंशदान की राशि	लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि		
									सरकारी अंशदान	लाभांश	कुल राशि
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1167004.88	0	1167004.88	04/01/23	Death	583502.44	290717.5	292784.94	583502.44

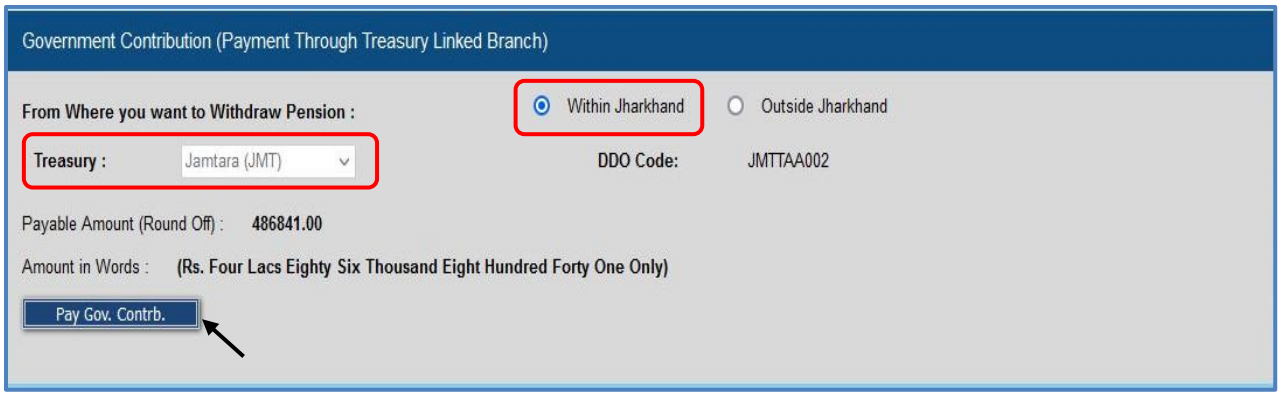
Print

UnPaid

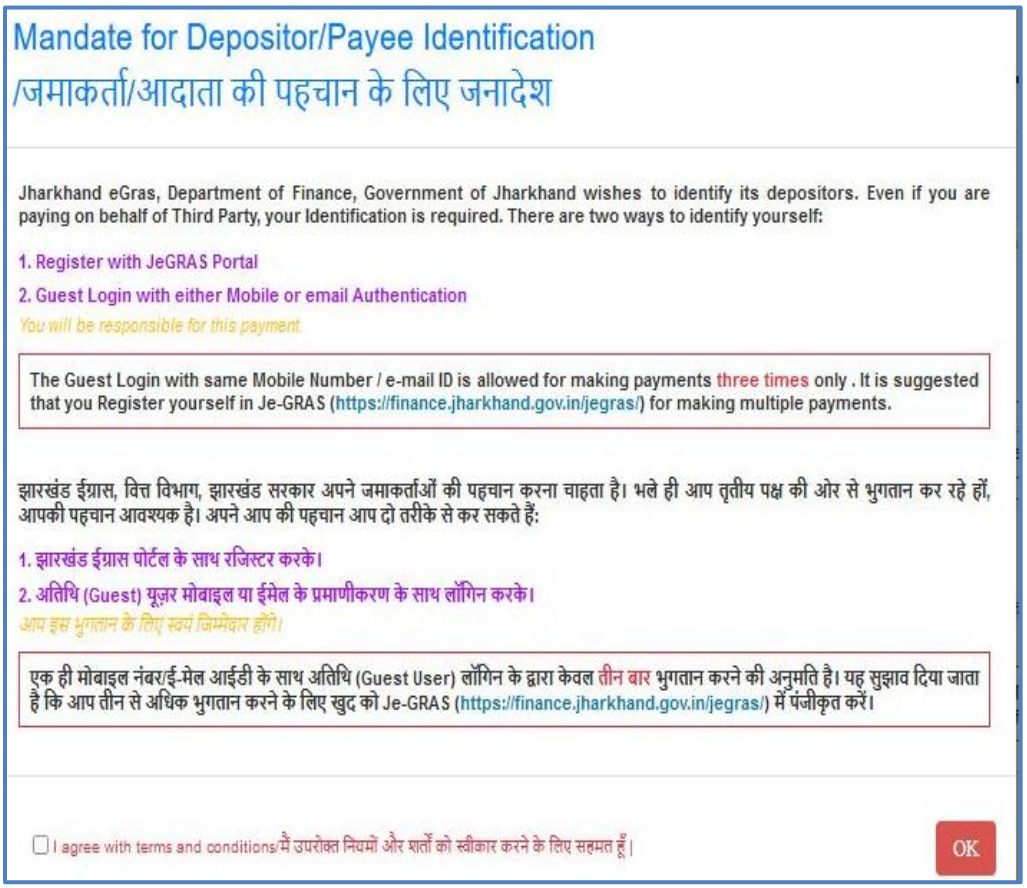
परिशिष्ट – ख **(Unpaid)**

[Data used in above picture is for sample only]

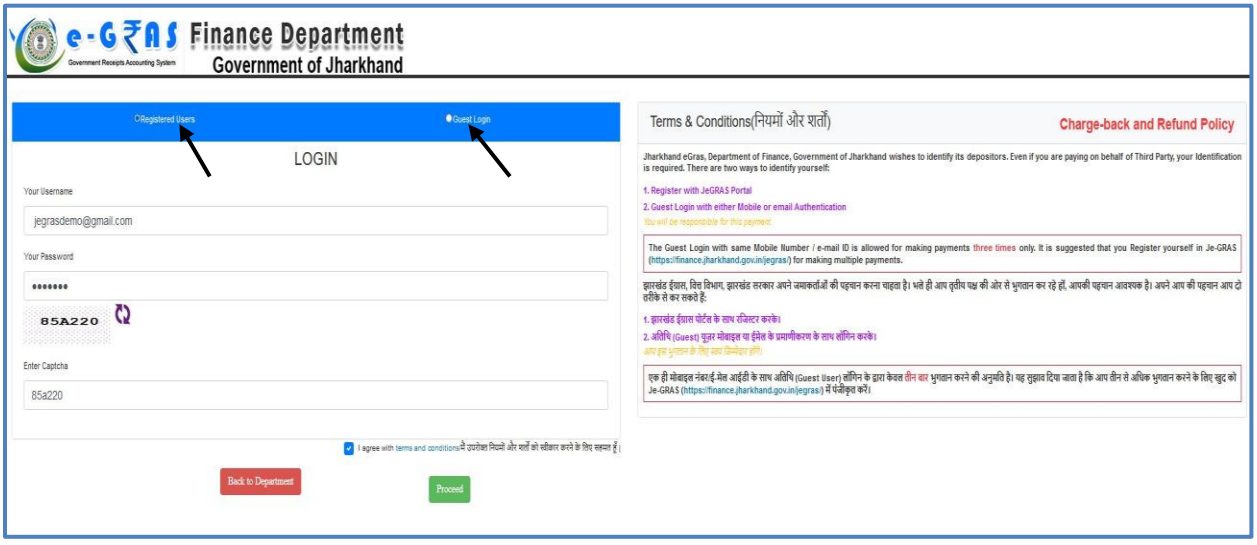
2. **Government Contribution can be paid by Over the Counter Mode through Treasury Linked SBI Branch only**. If the employee chooses to ***withdraw Pension within state of Jharkhand then respective Treasury has to be selected***. Click on **Pay Gov. Contrb.** button to proceed for payment. For Outside Jharkhand the default treasury would be Project Treasury.



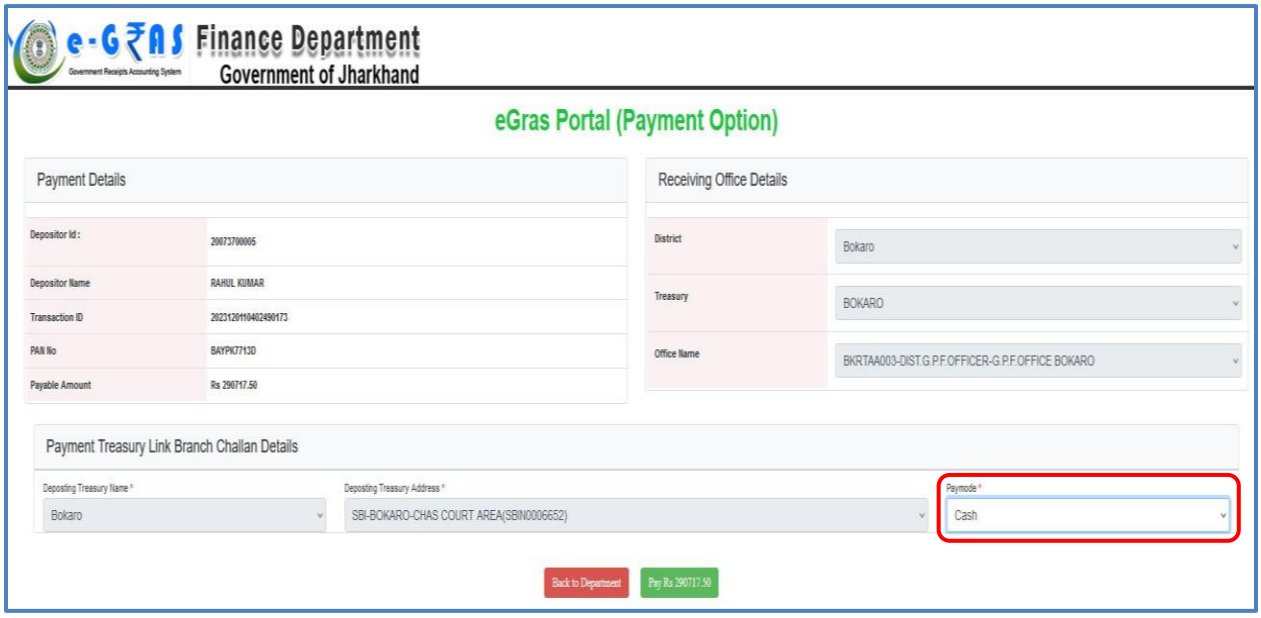
3. Clicking **Pay Gov. Contrb.** button will redirect the user to JeGRAS Portal for payment. Read the Mandate carefully before proceeding for payment.



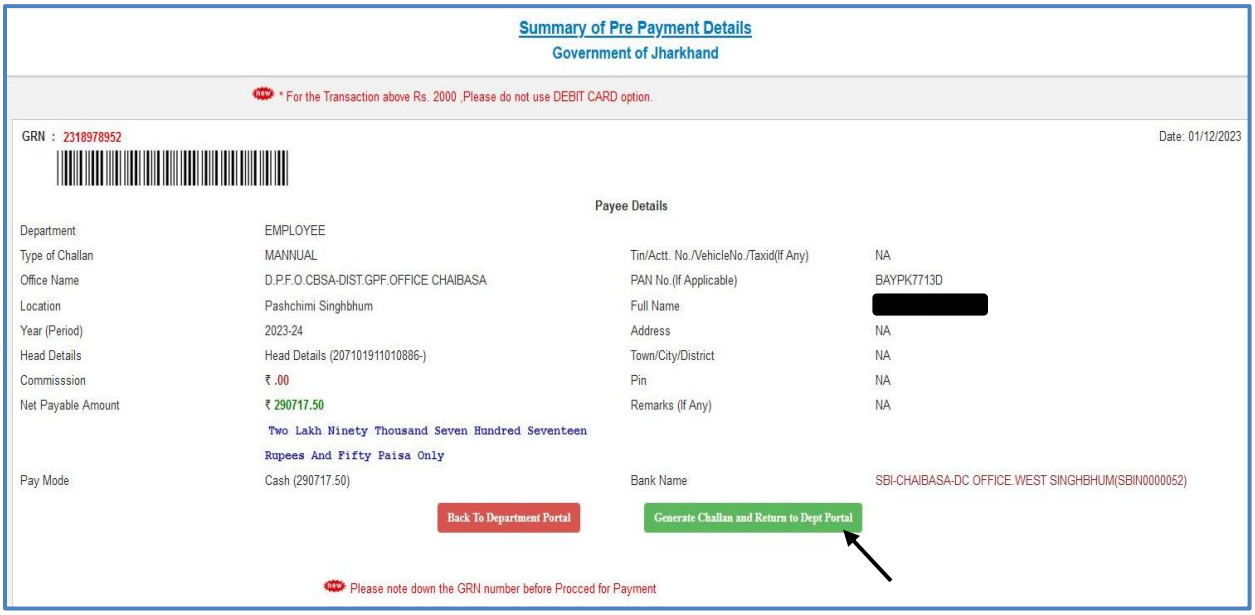
4. If you are a Registered user then login with your JeGRAS User ID and Password else choose Guest user and login with OTP.



5. Select **Payment Mode** (Cash/DD/Cheque) and click on **Pay Rs. xxxxx** button to proceed.



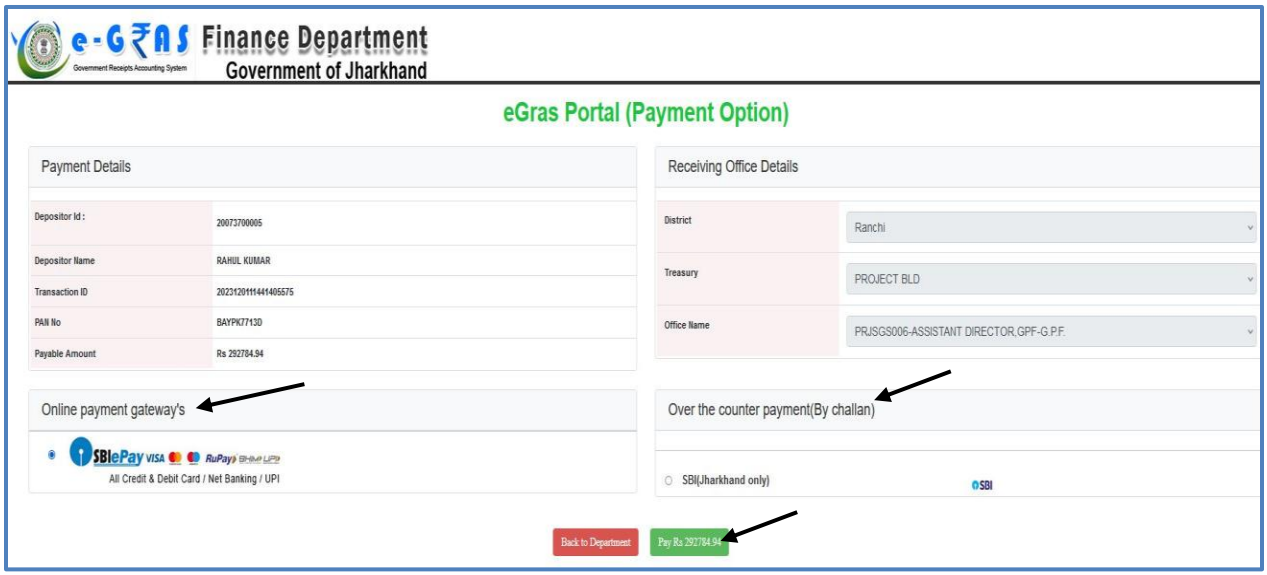
6. Verify the payment details and click on **Generate Challan and Return to Dept. Portal** button to generate the Challan and return to Department Portal. After generation of Challan take the Challan to concerned Treasury Linked SBI Branch for payment.



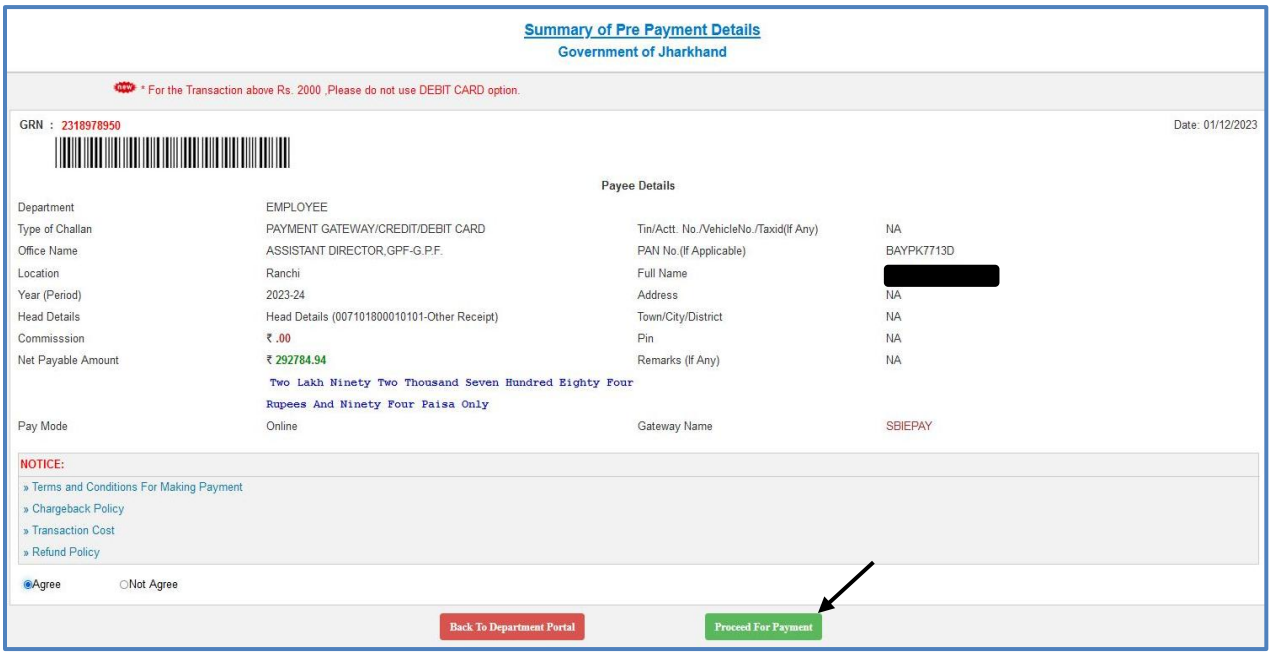
7. Appreciation of Government Contribution can be paid through both Online and Over the Counter modes. Click on **Pay Appreciation** to proceed for payment of appreciation amount.



8. After logging into JeGRAS portal select Online/Over the Counter mode of payment as per your convenience and click on **Pay Rs. xxxxx** button to proceed.



9. For Over the counter mode Challan will be generated which must be taken to any SBI Branch within Jharkhand state for payment. For Online payment click on Proceed for Payment after which the User will be redirected to its chosen Bank portal for making payment through Net Banking/UPI/ Credit Card/Debit Card.



Summary of Pre Payment Details
Government of Jharkhand

* For the Transaction above Rs. 2000 ,Please do not use DEBIT CARD option.

GRN : 2318978950 Date: 01/12/2023

Payee Details

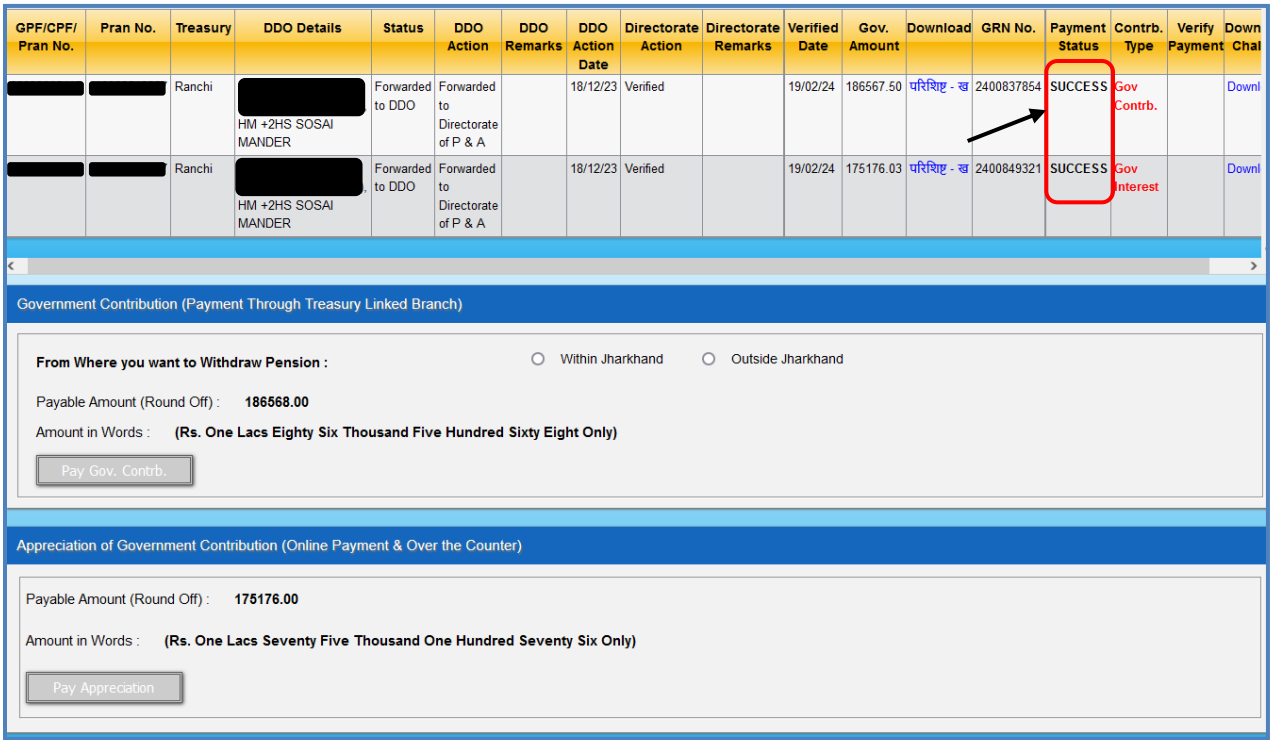
Department	EMPLOYEE		
Type of Challan	PAYMENT GATEWAY/CREDIT/DEBIT CARD	Tin/Actt. No./VehicleNo./Taxid(If Any)	NA
Office Name	ASSISTANT DIRECTOR,GPF-G.P.F.	PAN No.(If Applicable)	BAYPK7713D
Location	Ranchi	Full Name	[redacted]
Year (Period)	2023-24	Address	NA
Head Details	Head Details (007101800010101-Other Receipt)	Town/City/District	NA
Commisssion	₹ .00	Pin	NA
Net Payable Amount	₹ 292784.94	Remarks (If Any)	NA
	Two Lakh Ninety Two Thousand Seven Hundred Eighty Four Rupees And Ninety Four Paisa Only		
Pay Mode	Online	Gateway Name	SBIEPAY

NOTICE:
» Terms and Conditions For Making Payment
» Chargeback Policy
» Transaction Cost
» Refund Policy

◉Agree ○Not Agree

Back To Department Portal | Proceed For Payment

10. In case of Online payments the payment Status will show **"SUCCESS"** after payment process is completed without any errors.



GPF/CPF/ Pran No.	Pran No.	Treasury	DDO Details	Status	DDO Action	DDO Remarks	DDO Action Date	Directorate Action	Directorate Remarks	Verified Date	Gov. Amount	Download	GRN No.	Payment Status	Contrb. Type	Verify Payment	Down Chal
[redacted]	[redacted]	Ranchi	[redacted] HM +2HS SOSAI MANDER	Forwarded to DDO	Forwarded to Directorate of P & A		18/12/23	Verified		19/02/24	186567.50	परिशिष्ट - ख	2400837854	SUCCESS	Gov Contrb.		Downl
[redacted]	[redacted]	Ranchi	[redacted] HM +2HS SOSAI MANDER	Forwarded to DDO	Forwarded to Directorate of P & A		18/12/23	Verified		19/02/24	175176.03	परिशिष्ट - ख	2400849321	SUCCESS	Gov Interest		Downl

Government Contribution (Payment Through Treasury Linked Branch)

From Where you want to Withdraw Pension : ○ Within Jharkhand ○ Outside Jharkhand

Payable Amount (Round Off) : 186568.00

Amount in Words : (Rs. One Lacs Eighty Six Thousand Five Hundred Sixty Eight Only)

Pay Gov. Contrb.

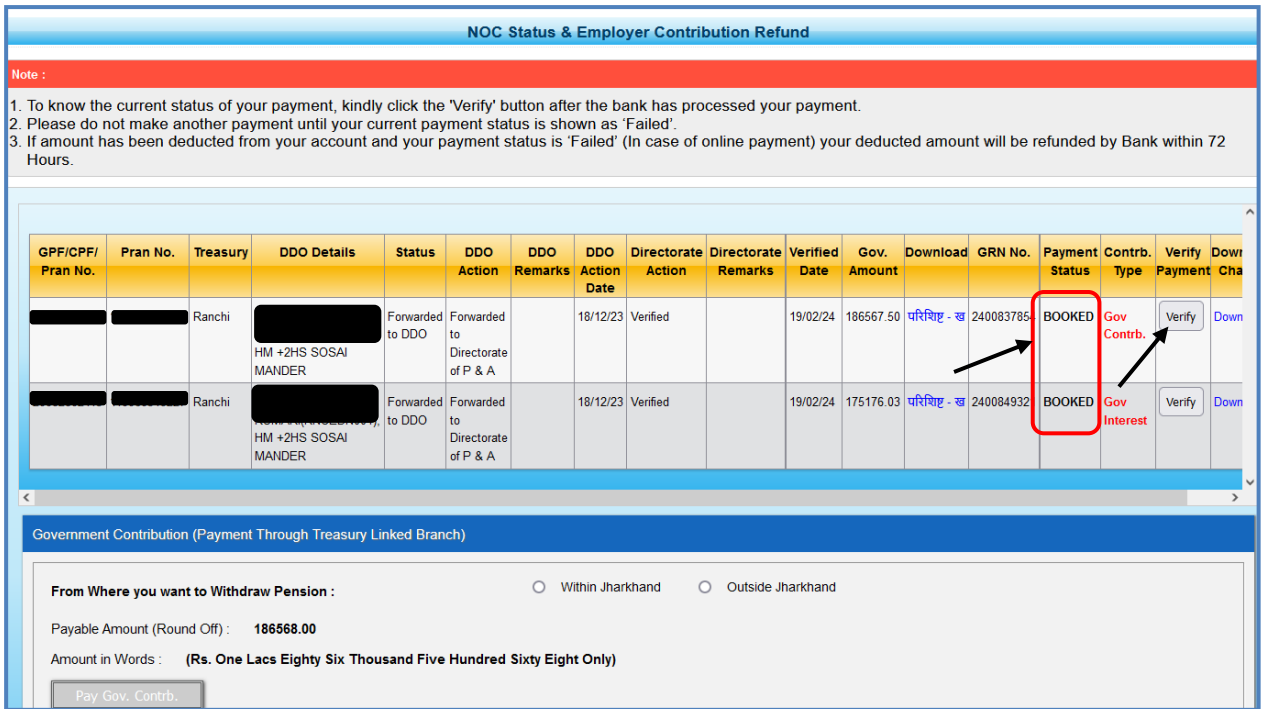
Appreciation of Government Contribution (Online Payment & Over the Counter)

Payable Amount (Round Off) : 175176.00

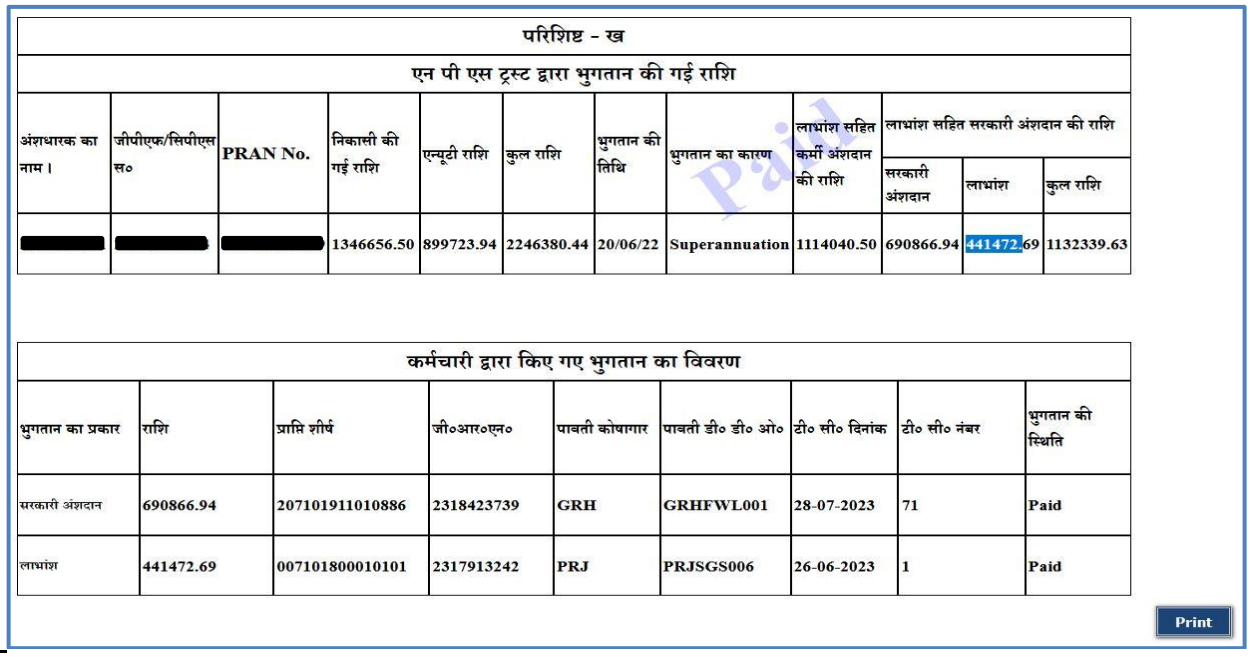
Amount in Words : (Rs. One Lacs Seventy Five Thousand One Hundred Seventy Six Only)

Pay Appreciation

11. In case of OTC Payments in Treasury Linked SBI branches or any SBI counter (within state of Jharkhand) the payment status will show BOOKED, so it is mandatory to click on **Verify** button to update your Payment status. This may also be done in case of online payments if the payment status is showing BOOKED even after the payment is successful.



12. After successful payment download परिशिष्ट – ख for Paid status and proceed to apply for Pension.



परिशिष्ट - ख

एन पी एस ट्रस्ट द्वारा भुगतान की गई राशि

अंशधारक का नाम।	जीपीएफ/सिपीएस स०	PRAN No.	निकासी की गई राशि	एन्यूटी राशि	कुल राशि	भुगतान की तिथि	भुगतान का कारण	लाभांश सहित कर्मी अंशदान की राशि	लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि		
									सरकारी अंशदान	लाभांश	कुल राशि
[redacted]	[redacted]	[redacted]	1346656.50	899723.94	2246380.44	20/06/22	Superannuation	1114040.50	690866.94	441472.69	1132339.63

Paid

कर्मचारी द्वारा किए गए भुगतान का विवरण

भुगतान का प्रकार	राशि	प्राप्ति शीर्ष	जी०आर०एन०	पावती कोषागार	पावती डी० डी० ओ०	टी० सी० दिनांक	टी० सी० नंबर	भुगतान की स्थिति
सरकारी अंशदान	690866.94	207101911010886	2318423739	GRH	GRHFWL001	28-07-2023	71	Paid
लाभांश	441472.69	007101800010101	2317913242	PRJ	PRJSGS006	26-06-2023	1	Paid

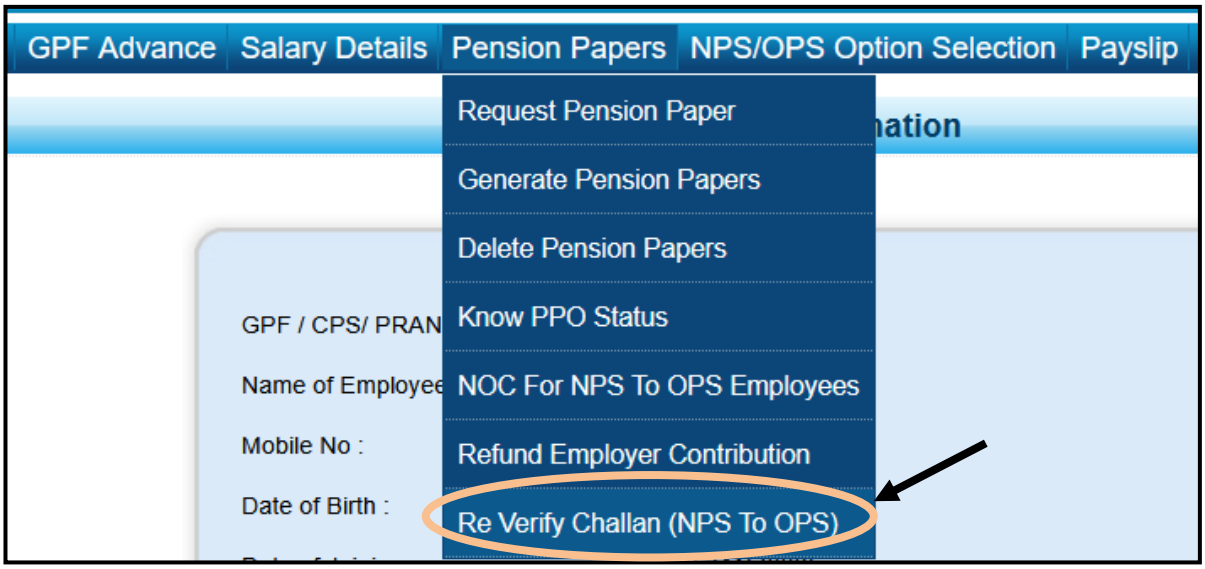
Print

<u>परिशिष्ट – ख (Paid) – Will be available for print after successful payment by the Retired Employee</u>

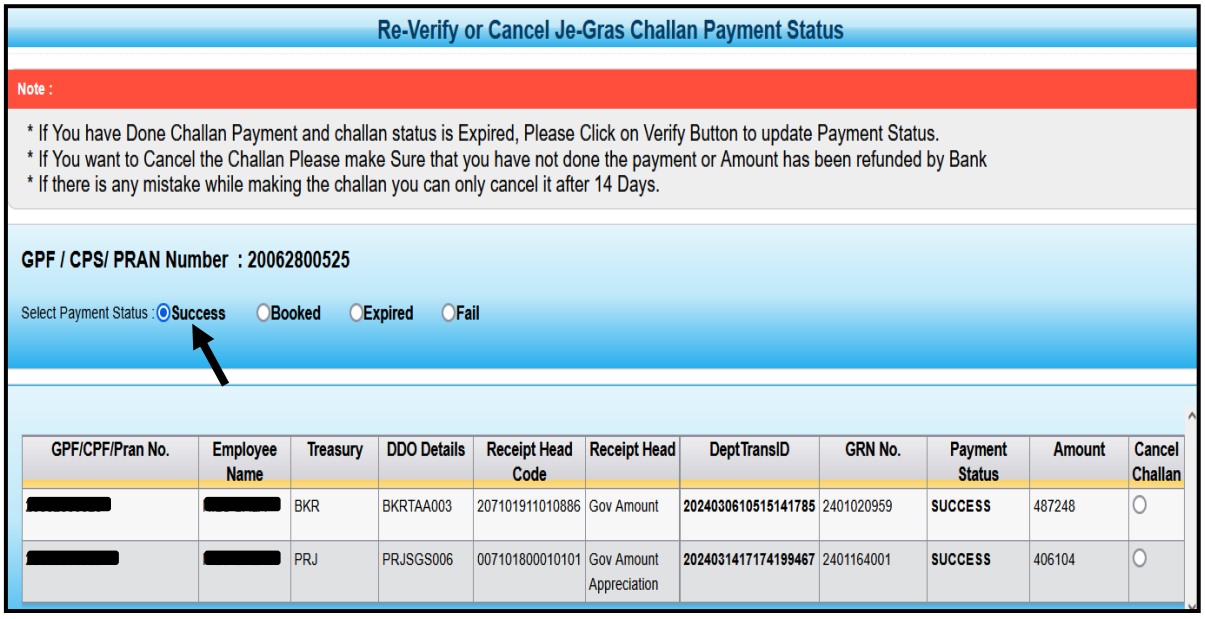
******Note: Data used in all the pictures and screenshots in this User Manual is for sample purpose only******

13. Re-Verify Challan Payment Status

- To re-verify Challan payment status click on **Pension Papers>re-verify Challan (NPS to OPS)**.

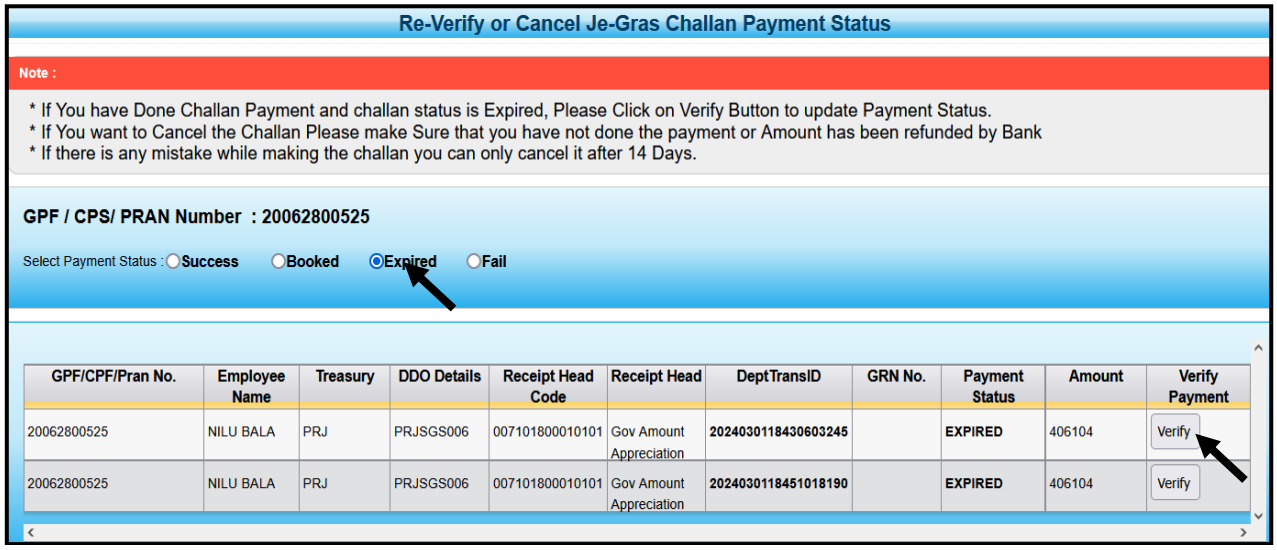


- If payment status is displayed as **"Success"** then re-verify option will not be available.



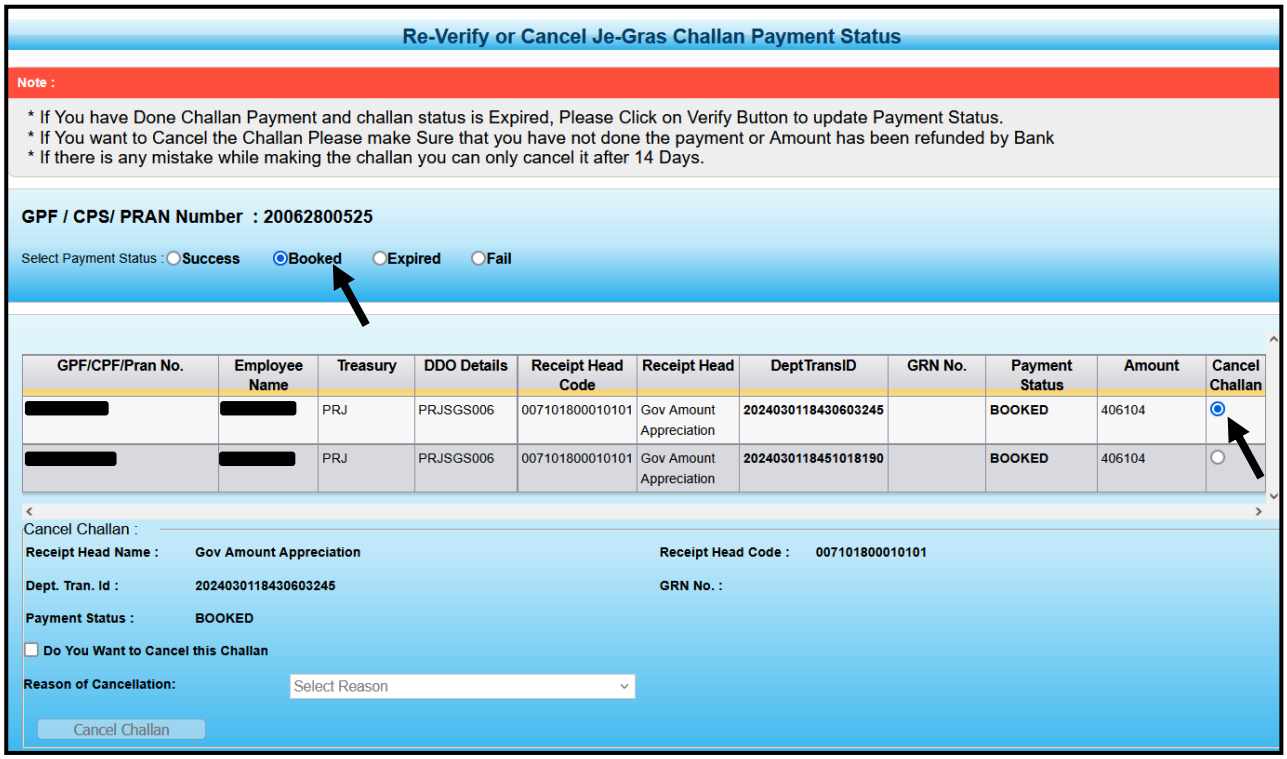
GPF/CPF/Pran No.	Employee Name	Treasury	DDO Details	Receipt Head Code	Receipt Head	DeptTransID	GRN No.	Payment Status	Amount	Cancel Challan
[redacted]	[redacted]	BKR	BKRTAA003	207101911010886	Gov Amount	2024030610515141785	2401020959	SUCCESS	487248	
[redacted]	[redacted]	PRJ	PRJSGS006	007101800010101	Gov Amount Appreciation	2024031417174199467	2401164001	SUCCESS	406104	

- In case of **"Expired"** status e-Challan can be re-verified by clicking "**Verify"** button.

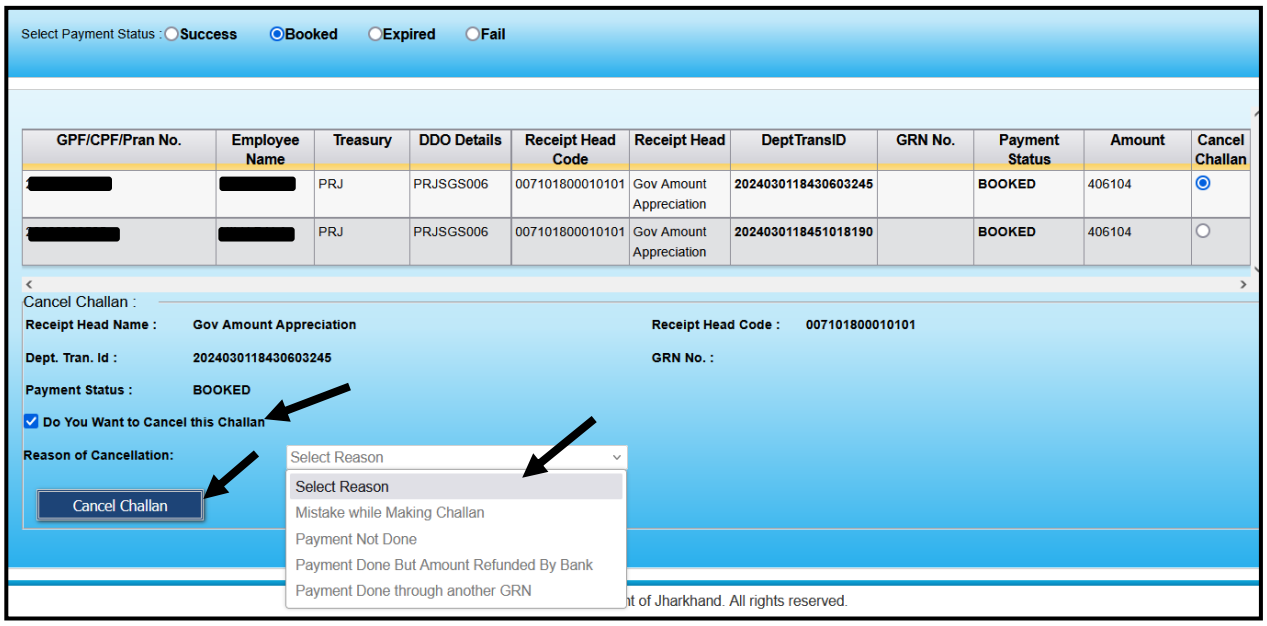


14. Cancel Challan

- In case the e-Challan is status is **"Booked"** beyond the defined time then the user can Cancel the e-Challan. To cancel the e-Challan select the e-Challan to be cancelled under the **Cancel Challan** coloumn.



- Then confirm the **"Do you want to Cancel this challan"** option and select the **Reason of Cancellation**. After that click **Cancel Challan** button to cancel the e-Challan.



5. STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR RETIRED EMPLOYEES (FINANCE DEPT. LETTER NO. 141, DATED 01/08/2023)

ज्ञापांक: 141/वि०पें०
दिनांक: 1/8/2023

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

विषय : पुरानी पेंशन योजना का चयन करने के पश्चात् पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा–निर्देश के संबंध में।

वित्त विभागीय संकल्प सं० 143/वि०पें० दिनांक 05.09.2022 द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों पर दिनांक 01.12.2004 से अनिवार्य रूप से लागू नई पेंशन अंशदायी पेंशन योजना समाप्त कर पुरानी पेंशन योजना बहाल की गई।

2. उपरोक्त संकल्प के आलोक में नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने या पुरानी पेंशन योजना का चयन करने हेतु विकल्प चयन संबधी दिशानिर्देश वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 148 दिनांक 21.09.2022 द्वारा संसूचित की गई।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के कंडिका 09 के आलोक में दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 01.09.2022 तक के मध्य सेवानिवृत्त कर्मियों के मामलों में भी पुरानी पेंशन योजना के अनुरूप पात्र सरकारी सेवकों/परिवारों को नियमानुसार लाभ देने का निर्णय संसूचित है।

4. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143 दिनांक 05.09.2022 के आलोक में पुरानी पेंशन का विकल्प का चयन करने वाले कर्मियों/मृत्त कर्मियों एवं दिनांक 01.12.2004 से दिनांक 01.09.2022 तक के मध्य सेवानिवृत्त/मृत्त कर्मियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने से संबंधित प्रक्रिया का निर्धारण विचाराधीन था। उपरोक्त के साथ ही वैसे कर्मी जो दिनांक 01.09.2022 के उपरांत सेवानिवृत हुए है या होंगे एवं जिन्हें GPF संख्या आवंटित हो चुका है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ लेने हेतु दिशानिर्देश निर्गत किये जाने का मामला विचाराधीन था।

5. अतः उपरोक्त सभी मामलों में राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त पुरानी पेंशन का लाभ लेने की प्रक्रिया से संबंधित दिशा–निर्देश निम्नरूपेण निर्गत किया जाता है :–

कंडिका (क)– <u>दिनांक 01/09/2022 के पूर्व सेवानिवृत्त वैसे कर्मी जिन्हें एन०पी०एस० राशि का भुगतान नहीं हुआ है, के लिए पेंशन प्राप्ति हेतु प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–</u>

(1) ऐसे राज्यकर्मी अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से अपने कार्यालय प्रधान/नियुक्त प्राधिकार के समक्ष एन०पी०एस० निकासी प्रपत्र एवं **परिशिष्ट– 'क'** में शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे वित्त विभागीय संकल्प

संख्या 143/वि०पें० दिनांक 05/09/2022 के प्रावधानों के आलोक में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं तथा वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143/वि०पें० दिनांक 05/09/2022 में निहित सभी शर्त्तों को पूर्ण करने हेतु वचनबद्ध होंगे।

(2) शपथ पत्र प्राप्त होने पर संबंधित कार्यालय प्रधान/नियुक्ति प्राधिकार का दायित्व होगा कि संबंधित कर्मी के सेवा अभिलेख की जाँच कर संतुष्ट होंगे कि संबंधित कर्मी द्वारा पेंशन प्राप्ति हेतु अर्हक सेवा पूर्ण कर ली गयी है।

(3) शपथ पत्र की छायाप्रति एवं एन०पी०एस० निकासी प्रपत्र – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से भविष्य निधि निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जायेगा।

(4) भविष्य निधि निदेशालय द्वारा एन०पी०एस० से अंतिम भुगतान हेतु ऑनलाईन प्रोसेस करने के पश्चात् एन०एस०डी०एल० द्वारा सेवानिवृत्त कर्मी को लाभांश सहित कर्मी अंशदान एवं लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि का भुगतान पी०एफ०आर०डी०ए० के द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश के अनुसार कर दिया जाएगा जिसमें एकमुश्त भुगतान की गयी राशि तथा एन्युटि राशि शामिल होगी।

(5) सेवानिवृत कर्मी को एन0पी0एस0 राशि का भुगतान प्राप्त होने के पश्चात् तत्संबंधी सूचना IFMS Database में Save हो जायेगा तथा कर्मचारी सेवा पोर्टल / पेंशन पोर्टल पर परिशिष्ट 'ख' के अनुसार उपलब्ध रहेंगी।

(6) कर्मी द्वारा लाभांश सहित सरकारी अंशदान राशि झारखण्ड ई–ग्रास पोर्टल पर चालान के माध्यम से लोक लेखा शीर्ष (प्रधान महालेखाकार, झारखण्ड, राँची के परामर्शानुसार शीर्ष का निर्धारण कर बाद में संसूचित किया जाएगा) में जमा की जायेगी। कर्मी द्वारा चालान में अपना सी0पी0एस0 या PRAN नम्बर सही–सही अंकित करना आवश्यक होगा ताकि पेंशन प्रपत्र भरते समय GRN No. से निर्धारित राशि का जमा किया जाना प्रमाणित हो सके।

(7) सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि राजकोष में जमा करने के उपरांत कर्मचारी सेवा पोर्टल के माध्यम से उनके सी0पी0एस0 या PRAN नम्बर से पेंशन प्रपत्र भरने के क्रम में उक्त GRN No. को सिस्टम के द्वारा Online सत्यापित किया जायेगा। राज्य कोष में राशि जमा होने एवं सत्यापित होने के बाद ही कर्मी अपना पेंशन प्रपत्र भर सकेंगे। उक्त का सत्यापन नहीं होने की स्थिति (अर्थात कम राशि जमा

किया जाना या राशि जमा नहीं किये जाने पर) में पेंशन प्रपत्र नहीं भर सकेंगे।

(8) भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची द्वारा सूचित की गयी लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि एवं सेवानिवृत्त कर्मी के द्वारा चालान के माध्यम से जमा की गई राशि पेंशन प्रपत्र में भी दर्शाया जायेगा, जिसे निकासी एवं व्ययन पदाधिकार द्वारा सत्यापित करते हुए पेंशन प्रपत्र अग्रसारण की पुरानी व्यवस्था के तहत् आगे की कार्रवाई की जायेगी।

(9) ऐसे कर्मियों के द्वारा अधिसूचना निर्गत होने की तिथि के तीन माह के अंदर अपना शपथ–पत्र एवं एन०पी०एस० निकासी प्रपत्र निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी शपथ–पत्र एवं एन०पी०एस० निकासी प्रपत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारी को प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। कोषागार पदाधिकारी अधिकतम 15 दिनों के अंदर शपथ–पत्र एवं एन०पी०एस० निकासी प्रपत्र भविष्य निधि निदेशालय को प्रेषित करेंगे तथा भविष्य निधि निदेशालय द्वारा एन०एस०डी०एल० से एक माह के अंदर राशि का भुगतान कराना सुनिश्चित किया जायेगा। कर्मी द्वारा राशि प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि झारखण्ड ई–ग्रास पोर्टल पर चालान के माध्यम से विहित शीर्ष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा। निर्धारित समयावधि का सख्ती से पालन किया जायेगा।

(10) ऐसे कर्मियों के द्वारा Online पेंशन प्रपत्र भरने के पूर्व पेंशन पोर्टल में शपथ पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सत्यापित करने तथा अपलोड करने के पश्चात् ही ऐसे कर्मी अपना पेंशन प्रपत्र भर सकेंगे।

कंडिका (ख)– <u>दिनांक 01/09/2022 के पूर्व सेवानिवृत्त वैसे कर्मी जिन्हे एन०पी०एस० राशि का भुगतान हो चुका है, के लिए पेंशन प्राप्ति हेतु प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–</u>

(1) ऐसे राज्यकर्मी अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से अपने कार्यालय प्रधान/ नियुक्ति प्राधिकार के समक्ष **परिशिष्ट – 'क' में शपथ पत्र** प्रस्तुत करेंगे कि वे वित्त विभागीय संकल्प संख्या 143/वि०पें० दिनांक 05/09/2022 के प्रावधानों के आलोक में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं तथा इस हेतु प्राप्त निदेशानुसार सभी शर्त्तों को पूर्ण करने हेतु वचनबद्ध होंगे।

(2) शपथ–पत्र प्राप्त होने पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कर्मी के सेवा अभिलेख की जाँच कर आवेदक द्वारा शपथ–पत्र में की गयी प्रविष्टियों के संबंध में संतुष्ट होने के पश्चात् ही शपथ–पत्र भविष्य निधि निदेशालय को अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु प्रेषित करेंगे। किसी प्रकार की गलत सूचना के साथ शपथ–पत्र प्रेषित किये जाने पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

(3) सेवानिवृत कर्मी को एन0पी0एस0 राशि का भुगतान प्राप्त होने की सूचना IFMS DATABASE तथा कर्मचारी सेवा पोर्टल/पेंशन पोर्टल पर परिशिष्ट 'ख' के अनुसार उपलब्ध रहेंगी।

(4) ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई उपरोक्त **कंडिका–"क" (6) से (10)** के अनुरूप की जाएगी।

कंडिका (ग)– <u>वैसे कर्मी जो 01/09/2022 के उपरांत सेवानिवृत्त हुए हैं/या होंगे और उन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत् भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित हो गया है</u> : –

(1) ऐसे राज्यकर्मी, जिन्होंने पेंशन प्राप्ति हेतु अर्हक सेवा पूर्ण की है, अपने निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं संबंधित कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से एन0पी0एस0 खाता में जमा राशि का भुगतान हेतु विहित आवेदन प्रपत्र अनिवार्य रुप से सेवानिवृत्ति के तीन माह पूर्व भविष्य निधि निदेशालय, झारखण्ड, राँची को उपलब्ध कराएगें।

(2) ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई **कंडिका–"क" (4) से (9)** के अनुरूप की जाएगी परंतु चालान तैयार करने हेतु या पेंशन प्रपत्र भरने हेतु सी०पी०एस० या PRAN नम्बर के स्थान पर जी0पी0एफ0 खाता संख्या का उल्लेख किया जाएगा। कर्मियों को राशि भुगतान के 30 (तीस) दिनों के अंदर चालान के माध्यम से लाभांश सहित सरकारी अंशदान की राशि जमा करना अनिवार्य होगा।

कंडिका (घ)– <u>वैसे कर्मी जिन्हें पुरानी पेंशन योजना के तहत् भविष्य निधि लेखा संख्या आवंटित हो चुँकि है तथा सेवाकाल में ही दिनांक 01/09/2022 को या उसके पश्चात् मृत्यु हो गयी है</u> : –

(1) ऐसे कर्मी के आश्रितों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई जी०पी०एफ० संख्या के आधार पर की जायेगी तथा पी०पी०ओ० के निर्गमन के पश्चात् आश्रित द्वारा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के माध्यम से NPS खाता में जमा कर्मी अंशदान की राशि का भुगतान प्राप्ति हेतु दावा

भविष्य निधि निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, पी०पी०ओ० तथा दावाकर्त्ता के सत्यापन हेतु वांछित कागजात संलग्न किया जाना आवश्यक होगा।

(2) भविष्य निधि निदेशालय द्वारा आवश्यक जाँचोपरान्त NPS खाता में जमा राशि की वापसी हेतु कार्रवाई करते हुए कर्मी अंशदान की राशि कोषागार चालान से कर्मी के जी०पी०एफ० में जमा कर दिया जाएगा तथा सरकारी अंशदान की राशि सरकार के पास समायोजित हो जाएगी।

(3) जी०पी०एफ० खाते में जमा राशि का भुगतान कर्मी के आश्रित को कर दिया जायेगा।

कंडिका (च)– <u>दिनांक 01/12/2004 से दिनांक 31/08/2022 के मध्य वैसे एन0पी0एस0 कर्मी जिनकी मृत्यु सेवानिवृत्ति के उपरांत हो गई है</u> : –

(1) ऐसे कर्मी के आश्रित को कर्मी को दिए गए सरकारी अंशदान की राशि एवं उस पर प्राप्त लाभांश की राशि वापस किये जाने के उपरांत पारिवारिक पेंशन अनुमान्य होगा।

(2) ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई उपरोक्त **कंडिका–"क"** के अनुरूप की जाएगी।

कंडिका (छ)– <u>दिनांक 01/09/2022 से दिनांक 15/03/2023 तक की अवधि में सेवानिवृत/मृत वैसे एन0पी0एस0 कर्मी जिन्होंने नई अंशदायी पेंशन योजना या पुरानी पेंशन योजना के लिए ऑनलाईन आवेदन नहीं किया है</u> : –

(1) ऐसे कर्मी को सरकारी अंशदान की राशि एवं उस पर प्राप्त लाभांश की राशि वापस किये जाने के उपरांत पेंशन अनुमान्य होगा।

(2) ऐसे मामलों में आगे की कार्रवाई उपरोक्त **कंडिका–"क"** के अनुरूप की जाएगी।

अनुलग्नक :– परिशिष्ट–क एवं परिशिष्ट–ख

नोट :– उपरोक्त सभी कंडिकाओं के आलोक में वित्त विभाग के पी०एम०यू० कोषांग को साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन किया जायेगा।

6. वित्त विभागीय संकल्प सं० 143/वि०पें० दिनांक 05.09.2022 के आलोक में राज्य सरकार को PFRDA से कर्मी अंशदान (लाभांश सहित) एवं सरकारी अंशदान (लाभांश सहित) वापस प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किया जाना है। वित्त विभाग द्वारा PFRDA से कुल राशि की वापसी हेतु पत्राचार किये जाने के क्रम में PFRDA द्वारा PFRDA के अधिनियम में ऐसा

कोई नियम नहीं होने का हवाला देते हुए राशि वापसी में असमर्थता व्यक्त करते हुए सूचना दी गयी है। अगर भविष्य में PFRDA से किसी स्थिति में राशि वापस की जाती है तो वित्त विभाग द्वारा अलग से दिशानिर्देश निर्गत किया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 113/वि०पे० दिनांक 26.06.2023 के क्रम में दिनांक 25.07.2023 की बैठक के मद संख्या 07 में दी गई है।

आदेश : **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को प्रेषित किया जाय।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 9/पें०–(6)–04/2022-141/वि०पे०, राँची, दिनांक : 1/8/2023

प्रतिलिपि : महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक : 9/पें०–(6)–04/2022-141/वि०पे०, राँची, दिनांक : 1/8/2023

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव/सचिव, झारखण्ड विधान सभा/महानिबंधक, झारखण्ड उच्च न्यायालय/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/निदेशक, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, राँची/सभी उपायुक्त/निदेशक, पेंशन एवं लेखा निदेशालय, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग/श्री कृष्ण मुरारी तिवारी, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।